न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/410

अब्दुल रहमान आयु 75 वर्ष आत्मज श्री अजमशाह जार्ति मुसलमान निवासी अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश नामधराणी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 29.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम 1968 के तहत पेश कर कथन किया कि अब्दुल रहमान आत्मज आजमशाह को वाके ग्राम अलोद में खसरा नम्बर 1014 की रकबा 0.05 बिस्वा भूमि आवंटित की गई । मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है । भूमि की किश्त मय ब्याज जमा नहीं की गई । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है । आवंटित भूमि का कृषि उपयोग नहीं हो रहा है । अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.05.2016 के द्वारा प्रार्थी तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी अब्दुल रहमान के पक्ष में किये गये आवंटन

को निरस्त करते हुए वादग्रस्त आराजी को कब्जेराज लिया जाकर सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.05.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को किया गया आवंटन अकृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन था । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय करने से पूर्व न तो आवंटन पत्रावली तलब की और न ही तहसीलदार हिण्डोली ने आवंटन आदेश की प्रति अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व न तो कोई साक्ष्य रिकॉर्ड की न ही आवंटन पत्रावली तलब की और न ही अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि अपीलान्ट को दिनांक 13.07.1981 को अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी । आवंटन के बाद से उक्त भूमि पर अपीलान्ट काबिज है । अपीलान्ट ने सनद शुल्क भी जा करा दिया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.05.18 को अपीलान्ट के खाते की नकल निकलवाने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का आवंटन अपीलान्ट को कृषि भूमि से भिन्न प्रयोजन हेतु अर्थात् जानवरों के लिए बाडा बनाने, कृषि यंत्रों को रखने एवं जानवर आदि बांधने के लिए दिनांक 13.07.1981 को आवंटन किया गया है । अपीलान्ट ने आवंटन के समय ही सनद शुल्क जमा करा दिया है । आवंटन के बाद से अपीलान्ट लगातार उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है । तहसीलदार हिण्डोली ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन) नियम 1968 के तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया कि भूमि का कृषि कार्य में उपयोग नहीं हो रहा है । अपीलान्ट ने जवाब पेश किया और पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखी गई इसके बाद कोई तारीख पेश ही नहीं दी और बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना साक्ष्य रिकॉर्ड किये आवंटन को निरस्त कर दिया गया । जिन नियमों के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उन नियमों में आवंटी को आराजी का आवंटन नहीं हुआ था । आवंटन अकृषि प्रयोजनार्थ किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने न तो आवंटन की पत्रावली तलब की और न ही इस तथ्य पर गौर किया कि आवंटन अकृषि प्रयोजनार्थ हुआ था । अपीलान्ट की साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं ली गई । 36 वर्ष बाद बिना किसी आधार के लोक

अदालत में आवंटन खारिज किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार हिण्डोली के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी जो कि आवंटी के गैर खातेदारी में दर्ज है उस पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है । अतः नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन) नियम 1968 के तहत प्रकरण दर्ज कर भिजवाया जा रहा है। पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के गैर खातेदारी में दर्ज है । नक्शा ट्रेस की प्रति भी संलग्न है और नकल खसरा गिरदावरी के संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी पडत बताई गई है और उसमें वादग्रस्त आराजी पर अब्दुल रहमान वल्द आजमशाह नाम गैर खातेदारी में दर्ज है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब भी पत्रावली पर संलग्न है । अपीलान्ट का मुख्य कथन यह है कि जिन नियमों के तहत आवंटन किया गया था उनसे भिन्न नियमों के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो मेन्टेनेबल नहीं है और आवंटन कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ के लिए किया गया है । उनके द्वारा फर्द के साथ एक सनद की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1014 में से आराजी का आवंटन कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ परिपत्र 03 जुलाई, 1971 में किया जाना दर्शाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ आवंटन की पत्रावली संलग्न नहीं है, आवंटन आदेश की प्रति भी संलग्न नहीं की गई । आवंटन की पत्रावली अथवा आवंटन आदेश का अवलोकन करने के उपरान्त ही यह विनिश्चय किया जा सकता है कि किन नियमों के तहत किया गया है और उसी नियमों के तहत आवंटन निरस्त करने के लिए कार्यवाही की जा सकती है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार के द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें यह भी अंकित नहीं है कि आवंटन किस तिथि को और किन नियमों के तहत किया गया है ।

12. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि पैरा संख्या 11 में किये गये विवेचन के अनुसार मूल आवंटन की पत्रावली का अवलोकन कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत नये सिरे से विधि सम्मत कार्यवाही करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 13.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.1.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा